झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

सी0 एम0 पी0 संख्या–91 / 2020

स्मिता जायसवाल उर्फ सोनी जायसवाल ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

रजनीश चौधरी ..... विपक्षी पार्टी

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के0 गुप्ता**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री एच0के0 शिकरवार, अधिवक्ता।

विपक्षी पार्टी के लिए : श्री नीतीश कृष्ण, अधिवक्ता।

07 / दिनांकः 26.02.2021

आई0ए0 सं0 1696 / 2020

1. यह अन्तर्वर्ती आवेदन वर्तमान सिविल विविध याचिका को दायर करने में हुई 634 दिनों की विलम्ब को क्षान्त करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दाखिल किया है।

2. ओ0पी0 के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया है।

3. सुना। सहायक शपथ पत्र के पैरा 9 में दिए गए कारणों के मद्देनजर विलम्ब को इस शर्त के साथ क्षान्त किया जाता है कि याचिकाकर्त्ता सदस्य सचिव, झालसा (JHALSA), न्याय सदन, डोरण्डा, राँची के समक्ष 1,000 / – (एक हजार) रू0 जमा करेगा

4. आई0ए0 सं0 1696 / 2020 का निपटान किया गया।

सी0एम0पी0 संख्या 91 / 2020

1. इस सिविल विविध याचिका को स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 20 / 2017 की पुनःस्थापन हेतु दाखिल किया गया है, जिसे दिनांक 15.03.2018 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए 12.04.2018 को खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 15.03.2018 के आदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता को कार्यालय दोषों को दूर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि, गलती से वकील याचिकाकर्त्ता को संसूचित नहीं कर सका, इसलिए त्रुटियों को अनुल्लंघनीय समय के अंदर दूर नहीं किया जा सका, इसके परिणामस्वरूप स्थानांतरण याचिका खारिज हो गया।

यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्त्ता की ओर से काई जानबूझकर अति विलम्ब नहीं किया गया है और यदि स्थानांतरण याचिका का पुनःस्थापन नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्त्ता को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।

3. सुना। सहायक हलफनामे में बताये गए कारणों से संतुष्ट होने के कारण, सिविल विविध याचिका की अनुमति दी गई है, तद्नुसार, आई0ए0 सं0 1696/2020 में आदेशित कॉस्ट चुकाने पर स्थानांतरण याचिका (सिविल) सं0 20/2017 को पुनःस्थापन का आदेश दिया जाता है।

(अमिताव के0 गुप्ता, जे0)